सं0सं0–9 / आ0–04–53 / 2023 516 (9) 22.05.25

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, शेखपुरा के पत्रांक–30 दिनाक–17 01 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाडा, शेखपुरा (जन्म तिथि–06 07 1990) दिनाक–16 09 2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा0 कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 मे अन्तर्निहित प्रावधानो के अन्तर्गत विभागीय संकल्प स0–552(9) दिनांक–17.05.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तद्पश्चात् विभागीय पत्रांक–1108(9) दिनांक–06 10.2023 एव पत्रांक–206(9) दिनाक–02.02.2024 द्वारा डा0 कुमार से द्वितीय कारण–पृच्छा की गई। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति मे दिनांक–12.06 2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्ततः द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 कुमार को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव मे बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–5079 दिनाक–21 03.2025 द्वारा आयोग की सहमति एव दिनाक–16 05 2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सख्या–37 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डा0 विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाडा, शेखपुरा को दिनाक–16.09 2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप मे सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेशः–संकल्प की प्रति डा0 विमलेश कुमार एव सभी सबंधितो को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/05/2025

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आ0–04–53 / 2023(स्वा0) 516 (9) / **पटना, दिनांकः** 22.05.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एव हक०) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये मुंगेर प्रमंडल, मुगेर / सिविल सर्जन, शेखपुरा / सबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाडा, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15)

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/05/2025

सरकार के अवर सचिव।